कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 4848 बिलासपुर/दिनांक 03-8-18

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर

विषय :– Proposal for Diversion of Forest land Upgrading to 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh, Pakage-I (0+00+ to 53+300) Under Bilaspur Forest Division Total Forest land to be diverted is 24.585 Ha.

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./तक./799 दिनांक 30.07.2018

—:00:—

विषयांतर्गत लेख है कि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदक संस्थान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई बिलासपुर द्वारा आवेदित, बिलासपुर–कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में बिलासपुर वनमण्डल के अंतर्गत प्रभावित 24.585 हे. के प्रकरण में परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा राष्ट्रीय स्तर से संबंधित एफ.सी.ए. 1980 के प्रकरण को गंभीरता से परीक्षण नहीं किया गया है एवं अपूर्ण प्रस्ताव वरीष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया गया है प्रकरण में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है –

1. आवेदित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इण्डिया के मूल टोपोशीट 1:50 स्केल पर पृथक–पृथक रंग से दर्शाते हुए स्पष्ट नक्शा प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. प्रभावित वनक्षेत्र को वन विभाग के संनिधि मानचित्र एवं वनस्पति मानचित्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. संरक्षित क्षेत्र दर्शाते हुए 10 कि.मी. रेडियेस का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।
5. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित भूमि को लगे हुए वन की सीमा को दर्शाने वाला नक्शा संलग्न नहीं किया गया है।
6. डी.जी.पी.एस. सर्वे के अनुसार आवेदित वनभूमि की गणना पत्रक जियोमेटिक सेन्टर/सूचना वनप्रबंधन प्रणाली से नहीं किया गया है।
7. आवेदित वनक्षेत्र के विरूद्ध प्रस्तावित दूगने नारंगी वनक्षेत्र को डी.जी.पी.एस.सर्वे के अनुसार गणना पत्रक जियोमेटिक सेन्टर/सूचना वनप्रबंधन प्रणाली से नहीं किया गया है।

8. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, भू–प्रबंध के वर्ष 2018–19 के निर्धारित दर राशि रू. 660245/– की दर से तैयार कर संलग्न नहीं किया गया है।
9. ऑनलाईन आवेदन पार्ट–2 के हार्ड कॉपी में वनमण्डलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है।
10. ऑन लाईन आवेदन पार्ट–2 में दिये गये वृक्षों की संख्या एवं आवेदन में संलग्न सूची में अंतर है।
11. आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का के.एम.एल.फाईल ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड नहीं किया गया है एवं के.एम.एल.फाईल का संलग्न नहीं किया गया है।
12. आवेदित क्षेत्र में पाये जाने वाले सेड्यूल–1 के वन्यप्राणी के संबंध में टीप प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र 03 में संलग्न नहीं किया गया है।
14. अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।
15. जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।
16. ऑनलाईन टाइमलाईन में वनमण्डलाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव 05 प्रतियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
संलग्न – प्रस्ताव 05 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक./ 4849 **बिलासपुर/दिनांक** 03-8-18

प्रतिलिपि –

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. परीयोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ईकाई अभिलाषा परिसर नया बस स्टैण्ड बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर